

माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-31.05.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में 4, देशरत्न मार्ग, पटना स्थित 'संवाद' में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सम्पन्न द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

कार्यावली संख्या-01

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-09.02.2016 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-02

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-09.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:-

(क) कार्यावली संख्या-1 में शासी निकाय द्वारा बिहार विकास मिशन के पंजीकृत स्मृति पत्र एवं नियमावली को अंगीकृत किए जाने के अनुपालन में बिहार विकास मिशन नियमावली के अंतर्गत बिहार विकास मिशन के कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

निर्णय :-सूचना ग्रहण की गई।

(ख) कार्यावली संख्या-2 में शासी निकाय द्वारा बिहार विकास मिशन के कार्यों के सुगम संचालन हेतु मिशन नियमावली में, जो शक्तियाँ एवं कृत्य कार्यकारी समिति, सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, अध्यक्ष, उपमिशन, उप मिशन निदेशक को दी गई है, उनका उपयोग एवं निष्पादन करने के लिए शासी निकाय की उस हद तक अपनी शक्तियों एवं कृत्यों को प्रत्यायोजित करने हेतु दी गई स्वीकृति के अनुपालन में कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

(ग) कार्यावली संख्या-3 में बिहार विकास मिशन के HR Manual, Procurement Manual एवं Financial Manual तैयार करने के निमित्त निविदा तैयार कर इसे प्रकाशित करने एवं एजेंसी का चयन कर इसे अंतिम रूप देने एवं प्रारंभिक अवधि में मिशन के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ एवं पेशेवर व्यक्तियों को खुली निविदा द्वारा संविदा पर नियोजित करने हेतु कार्यकारी समिति को प्राधिकृत किया गया है। इसके अनुपालन के संबंध में क्रमशः कार्यावली सं0-3,4 एवं कार्यावली संख्या-5 में प्रगति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

(घ) कार्यावली संख्या-4 के अनुपालन में कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक-18.02.2016 की बैठक में बिहार विकास मिशन का खाता खोलने एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त खाता के संयुक्त संचालन हेतु पदाधिकारियों को नामित करने हेतु सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन को प्राधिकृत किया गया। तदनुसार बिहार विकास मिशन का खाता, ICICI Bank, Boring Canal Road, Patna में खोला गया है एवं सदस्य सचिव

के अतिरिक्त श्री नील कमल (भा०प्र०से०), विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार विकास मिशन, खाता के संयुक्त-संचालन हेतु प्राधिकृत हैं।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

(इ) कार्यावली संख्या-5 के अनुपालन में मिशन के कार्यों के सुगम संचालन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी आदेश निर्गत किया जा चुका है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

(च) कार्यावली संख्या-6 के अनुपालन में बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका-15(7) के बाद कंडिका-15(8) "अध्यक्ष, उप-मिशन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उप मिशन की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे" जोड़ने संबंधी आदेश निर्गत किया जा चुका है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

कार्यावली संख्या-3

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के दिनांक- 09.02.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार विकास मिशन के कार्यों के सुगम संचालन हेतु HR Manual के निर्माण के लिए बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति को प्राधिकृत किया गया है। तदालोक में दिनांक-18.02.2016 को कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यावली संख्या-1 में इस हेतु निविदा एवं RFP प्रारूप स्वीकृत किया गया।

कार्यकारी समिति की दिनांक-18.02.2016 की बैठक की कार्यावली संख्या-2 में इस प्रसंग में Tender Finalisation Committee का गठन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किए जाने की स्वीकृति दी गई। उक्त गठित Tender Finalisation Committee द्वारा निविदा का निष्पादन अंतिम चरण में है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

कार्यावली संख्या-4

शासी निकाय के दिनांक- 09.02.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार विकास मिशन के Procurement Manual एवं Financial Manual के निर्माण के लिए बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति को प्राधिकृत किया गया है। तदालोक में कार्यकारी समिति के दिनांक- 07.04.2016 के बैठक में "Selection of an agency for development of financial, Procurement and administrative delegation Policy, Manuals, guidelines, procedures and design of e-procurement system for the Bihar Vikas Mission के RFP की सम्पुष्टि एवं उसके निष्पादन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति दी गई है। उक्त समिति द्वारा अनुमोदित RFP प्रकाशित की जा चुकी है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

कार्यावली संख्या-5

शासी निकाय के दिनांक- 09.02.2016की बैठक में मिशन के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ एवं पेशेवर व्यक्तियों को खुली निविदा द्वारा संविदा पर नियोजित करने हेतु कार्यकारी समिति को प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार दिनांक-18.02.2016 की कार्यकारी समिति की बैठक में 100 विशेषज्ञों एवं पेशेवर व्यक्तियों को अल्पकालीन संविदा पर पदों की स्वीकृति एवं निविदा के माध्यम से नियोजित करने तथा निविदा प्रारूप (RFP) को अनुमोदित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदित आरक्षण बिन्दुओं के आलोक में कुल 7 पदों पर नियोजन हेतु RFP प्रकाशित की गई। दिनांक- 18.02.2016 को कार्यकारी समिति की बैठक में पेशेवर व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों के संविदा पर नियोजन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति दी गई। प्रकाशित RFP के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँचोंपरांत RFP के शर्तों के अनुरूप आवेदन समर्पित नहीं करने वाले आवेदनकर्ताओं की सूची मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई, जिनका निस्तार किया जा रहा है। दिनांक-26.05.2016 को निम्न तीन पदों हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा साक्षात्कार का कार्य संपादित किया जा चुका है:-

- 1) Finance Associate
- 2) Programme Analyst
- 3) Communication Associate

शेष पदों हेतु साक्षात्कार की कार्रवाई माह जून 2016 के प्रथम सप्ताह तक की जाएगी। साक्षात्कार में सफल सुयोग्य उम्मीदवारों का तदोपरांत नियोजन किया जाएगा।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

कार्यावली संख्या-6

कार्यकारी समिति की दिनांक-18.02.2016 के बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मिशन का बजट प्रावधान नहीं हो जाता है, तब तक DFID से आवश्यक निधि का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उक्त राशि से आरंभिक व्यय किया जाय। इसके आलोक में बिहार विकास मिशन को DFID से राशि रु० 10 करोड़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त हो चुकी है। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (प्रशासी विभाग) से वर्ष 2015-16 के लिए राशि रु० 5.00 करोड़ (वेतनादि मद के अलावा) प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त प्राप्त राशि रु० 10.00 करोड़ एवं 5.00 करोड़ का व्यय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् किया जा रहा है।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-7

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक- 18.02.2016, 07.04.2016 एवं 20.05.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

निर्णय :-अवलोकित।

कार्यावली संख्या-8

कार्यकारी समिति की दिनांक-07.04.2016 की बैठक में बिहार विकास मिशन में पदस्थापित/कार्यरत/चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि/मानदेय सहित बिहार विकास मिशन के कार्यालय के साज-सज्जा (फर्निचर, वाहन, साधित्र सहित) एवं नवगठित बिहार विकास मिशन के विभिन्न मदों में वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रस्तावित बजट को बिहार विकास मिशन नियमावली की कंडिका-9(13) के आलोक में शासी निकाय की स्वीकृति/अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्न प्रस्तावित बजट पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित।

**BIHAR VIKAS MISSION
BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR-2016-17
RECEIPT**

SL. NO.	PARTICULARS	(Rs. In Crore)	(Rs. In Crore)
1	Capital Grant	40.00	215.00
2	Revenue Grant	175.00	
	(Grant through State Budget -205.00 Crore & Grant through DFID- 10.00 Crore)		

Grand Total - 215.00

SL. NO.	PARTICULARS	(Rs. In Crore)	(Rs. In Crore)
1	Creation of Capital Assets		
	(i) Computer & Other IT Hardware/Software expenses/services/maintenance	15.00	
	(ii) Furniture & Office equipments/other related office expenditure	15.00	
	(iii) Mission office ; fabrication/Renovation Expenditure	10.00	
	Total-		40.00
2	Salary & Wages		10.00
3	Honorinum & related expenditure		132.00
4	Professional/consultancy fee		15.00
5	Other office Running expenditure		
	(i) Vehicle hiring & Traveling Expenditure	1.00	
	(ii) Power/ Fuel/Water charges (including Generator)/maintenance	1.00	
	(iii) Mobile/Telephone/Internet Expenditure	1.00	
	Total-		3.00
6	Capacity Building Expenditure		5.00
7	Other Expenditure & Office Contingency		10.00
	Grand Total-		215.00

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-09

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के संचालन हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त संदर्भित अध्याचना के आलोक में अध्याचित पदों के सृजन, नियोजित होने वाले बल की संख्या उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अनुभव एवं मानदेय निम्नवत हैं:-

SN	Position	No. of Post	Minimum Educational Qualification	Professional Experience	Specific Expertise	Amounts
1	Manager	38	MBA/PGDM	Minimum of 5 years of Experience at managerial Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial level. Proficiency in IT will be preferred.	80,000
2	Assistant Manager, Projects and Accounts	38	MBA/PGDM	Minimum of 3 years of Experience in Managerial/ Supervisor Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial/supervisory level. Proficiency in IT will be preferred.	60,000
3	Assistant Manager, Schemes	152	MBA/PGDM	Minimum of 3 years of Experience in Managerial/ Supervisor Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial/supervisory level. Proficiency in IT will be preferred.	60,000
4	Supervisor, IT	38	B.E/B.Tech/BSc. (Engg.) in Computer Science and Engineering/ Information Technology	Not essential	Experience in IT sector with exposure to hardware will be preferred.	40,000
5	Single Window Operator	1577	DCA or Equivalent Diploma	Not essential	Should have proficiency in IT sector.	17,000
6	Multipurpose Assistant	152	DCA or Equivalent Diploma	Not essential	-do-	17,000

उपरोक्त वर्णित पदों एवं उनके वांछित शैक्षणिक योग्यता आदि पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन दिनांक-20.05.2016 की बैठक में प्राप्त है।

क्रम संख्या-1 से 3 तक के पदों के लिए बिहार विकास मिशन के द्वारा NIC के माध्यम से तैयार किए गये ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है तथा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अंतिम चयन हेतु चयन समिति गठित की जा चुकी है। इसी प्रकार क्रमांक-4 से 6 के पदों के लिए BSEDC को नोडल एजेंसी बनाया गया है एवं उन्हें अध्याचना भेजी जा चुकी है। सभी पदों पर चयन के उपरांत नियोजन, बिहार विकास मिशन द्वारा किया जायेगा एवं इनकी स्थापना भी बिहार विकास मिशन में रहेगी।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-10

कार्यकारी समिति की दिनांक- 20.05.2016 की बैठक में मिशन के कार्यों की अधिकता/नए नियोजनों एवं RFP तथा स्थापना संबंधी कार्यों हेतु सदस्य सचिव कार्यालय में 10 डाटा इंट्री ऑपरेटरों तथा 01 IT Manager का संविदा आधारित पद का अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है।

अतः बिहार विकास मिशन नियमावली की कंडिका-9 (20) के आलोक में मिशन के सदस्य सचिव कार्यालय में 10 डाटा इंट्री ऑपरेटरों तथा 01 IT Manager का संविदा आधारित पद का अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-11

दिनांक-20.05.2016 को कार्यकारी समिति की बैठक में बिहार विकास मिशन अन्तर्गत स्थापना/वित्त संबंधी कार्यों हेतु पर्याप्त कार्यबल का अभाव तथा बिहार विकास मिशन हेतु नियोजन की कार्रवाई के उपरान्त मिशन के कार्यबल के स्थापना/वित्तीय/नियोजन संबंधी कार्यों के निष्पादनार्थ, सदस्य सचिव कार्यालय में 5 सहायकों का पद (वेतन बैंड-9300-34,800, ग्रेड वेतन-4600) जिंसपर सेवानिवृत्त सहायकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा, की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः बिहार विकास मिशन के सदस्य सचिव कार्यालय हेतु 05 सहायकों के पद की स्वीकृति पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-12

कार्यकारी समिति की दिनांक-20.05.2016 की बैठक में बिहार विकास मिशन हेतु कार्यालय परिचारी के लिए स्वीकृत 5 पद अपर्याप्त होने के कारण कार्यहित में बाह्य स्रोत से 10 कार्यालय परिचारी की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।

अतः बिहार विकास मिशन हेतु 10 कार्यालय परिचारी के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-13

बिहार विकास मिशन नियमावली के अनुरूप मुख्य सचिव, बिहार, बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, विकास आयुक्त, बिहार, बिहार विकास मिशन के उप मिशन के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार विकास मिशन के सदस्य सचिव एवं श्री अतीश चन्द्रा, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार विकास मिशन के मिशन निदेशक का कार्य संपादित कर रहे हैं। साथ ही श्री नवीन कुमार सिंह, युवा उप मिशन, श्री अनिमेष पाण्डेय, पेयजल स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उपमिशन, श्री मनोज कुमार, मानव विकास उपमिशन, श्री कौशलेन्द्र सिंह, उद्योग एवं व्यवसाय उपमिशन, श्री राजीव

कुमार, आधारभूत संरचना उप मिशन, श्री अरुण कुमार ठाकुर, कृषि उप मिशन एवं श्री सोमेश बहादुर माथुर लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उपमिशन द्वारा उपमिशन निदेशक का कार्य संपादित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त श्री नील कमल, भा०प्र०से०, श्री पवन कुमार सिन्हा एवं श्री शंभू प्रसाद सिंह, सदस्य सचिव कार्यालय में तथा श्री रजनीश कुमार सिंह एवं श्री संजय कुमार द्वारा मिशन निदेशक कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य संपादित किया जा रहा है।

निर्णय :-अवलोकित।

कार्यावली संख्या-14

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत निम्न 07 उपमिशनों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु सात निश्चयवार/उपमिशनवार प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

(क) निश्चयवार :-

(i) निश्चय:-1 आर्थिक हल, युवाओं का बल

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (योजना एवं विकास विभाग)

भवन निर्माण विभाग :- सभी जिलों में 2 अक्टूबर, 2016 से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का संचालन किया जाना है, जिसका ट्रायल रन 15 सितम्बर, 2016 से प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इस हेतु सभी 38 जिलों में स्थल चयनित एवं निविदा कार्य पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.08.2016 है।

कर्मियों का चयन:- निबंधन केंद्र हेतु Supervisor (IT), Single Window Operator & Multipurpose Assistant का चयन बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार विकास मिशन द्वारा एवं प्रबंधक, सहायक प्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं लेखा) तथा सहायक प्रबंधक (योजना) का नियोजन बिहार विकास मिशन द्वारा 30 जुलाई, 2016 तक किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर का विकास एवं प्रशिक्षण:- KPMG कंसल्टेंट के रूप में चयनित है एवं उसके सहयोग से सॉफ्टवेयर के विकास हेतु एजेंसी का चयन 30 मई, 2016 तक करते हुए सॉफ्टवेयर विकास का कार्य 14 अगस्त, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 16 अगस्त, 2016 से कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

निर्णय:- जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के निर्माण एवं संचालन के संबंध में समीक्षा की गई। इसे निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

स्वयं सहायता भत्ता (योजना एवं विकास विभाग) :-12वीं उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रु० प्रति माह के दर से स्वयं सहायता भत्ता की सुविधा दो वर्ष के लिए दी जाएगी।

निर्णय:-“भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान” को स्वयं सहायता भत्ता से लिंक किया जाय। पात्र युवाओं को 1000 रु० प्रति माह की दर से राशि का भुगतान दो वर्षों तक किया जाए परन्तु अंतिम 5 माह का भुगतान प्राप्त करने से पहले उन्हें भाषा संवाद एवं

बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग आवश्यक तैयारी करे।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (शिक्षा विभाग):—12 वीं उत्तीर्ण हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण बैंकों से जोड़कर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्णय:—स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक तैयारी निर्धारित अवधि में पूरी कर ली जाये।

भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (श्रम संसाधन विभाग):— राज्य के युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जायेगा। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन की स्वीकृति के पूर्व आवेदकों के शैक्षणिक संस्थान/कागजात के सत्यापन हेतु KPMG के सहायोग से एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिसे 31.07.2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु Knowledge Partner का चयन 15 जुलाई, 2016 तक कर लिया जायेगा। भवन निर्माण हेतु 534 के विरुद्ध 527 प्रखंडों में भूमि चिन्हित हो चुकी है एवं शेष 7 प्रखंडों में भूमि लीज पर ली जा रही है।

निर्णय:— भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में समीक्षा के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 527 प्रखंडों में भूमि चिन्हित हो चुकी है एवं शेष 7 में स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है। 31 अगस्त तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य उत्तर बिहार में बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम एवं दक्षिण बिहार में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। निदेशित किया गया कि बचे हुए 7 स्थलों का चयन यथाशीघ्र करते हुए ससमय निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय।

वेंचर कैपिटल फंड का गठन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थाना (उद्योग विभाग):— संबंधित युवाओं के उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रु० का वेंचर कैपिटल फंड का गठन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि इस हेतु बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी, 2016 का दि० 28.04.2016 को प्रस्तुतीकरण किया गया है एवं बैठक में प्राप्त निदेश के आलोक में आवश्यक संशोधन कर अंतिम प्रस्ताव प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

निर्णय:— सभी पहलुओं को देखते हुए दिनांक—15 अगस्त, 2016 से लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई—फाई की सुविधा (सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग):— राज्य के 16 विश्वविद्यालयों, 262 महाविद्यालयों, 09 चिकित्सा महाविद्यालयों, 07 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 08 कृषि महाविद्यालयों एवं 10 अन्य संस्थानों में निःशुल्क वाई—फाई की सुविधा जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

निर्णय:— राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई—फाई की सुविधा ससमय उपलब्ध कराने हेतु विभाग को निदेश दिया गया।

(ii) निश्चय:-2; आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार (सामान्य प्रशासन विभाग) :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक- 15 फरवरी, 2016 को राज्य सरकार के सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने हेतु सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों एवं नियुक्ति अधिकारियों को निदेश निर्गत किया जा चुका है।

निर्णय:-(i) सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करते हुए सभी विभागों/निगमों द्वारा 35% महिला आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(ii) नियुक्ति हेतु गठित आयोगों में साक्षात्कार बोर्ड के सीमित संख्या में होने के कारण चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के समाधान हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निदेशित किया गया कि वे आयोगों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें।

(iii) निश्चय:-3; हर घर बिजली लगातार

हर घर बिजली लगातार (उर्जा विभाग):- आगामी 2 वर्षों में बचे हुए सभी गाँव एवं बसावटों का विद्युतीकरण तथा सभी घरों तक बिजली की सम्पर्कता एवं निरंतर बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रधान सचिव, उर्जा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत रहित घरों की संख्या निर्धारित करने हेतु 25 जून, 2016 से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस क्रम में Apps. के माध्यम से सर्वेक्षण कराने के निमित्त NIC द्वारा Software तैयार किये जाने तथा उक्त सर्वेक्षण की सफलता हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर संबद्ध पदाधिकारी एवं कार्मिकों के विस्तृत प्रशिक्षण की जानकारी भी दी गयी।

इसके अतिरिक्त राज्य में कतिपय छुटे हुए बसावटों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने हेतु चिन्हित करने तथा केंद्र सरकार से गांवों के विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त होने की सूचना दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1098 अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युत संपर्कता के लिए ग्रीड सॉल्यूशन है, जिसपर काम चल रहा है, परन्तु राज्य के कुछ जिलों के 214 गाँव, जो नदी के बीच है या जंगल से घिरे हैं, के लिए सौर-उर्जा के माध्यम से विद्युत सम्पर्कता हेतु कार्य किया जा रहा है। उर्जा विभाग द्वारा दिसम्बर, 2017 तक सभी बसावटों/टोलों तक विद्युत पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्णय:-लक्ष्य के अनुरूप कार्य निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया।

(iv) निश्चय:-4; हर घर नल का जल

(क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग:- राज्य में फ्लोराइड से 3467, आयरन से 17833 एवं आर्सेनिक से 961 अर्थात् कुल 22261 बसावट गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्तमान में फ्लोराइड एवं आयरन से 530 बसावटों में से 53 बसावटों के 4367 घरों को उपचारित कर स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा दी जा रही है। शेष 477 बसावटों का कार्य मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लक्षित 1600 बसावटों का कार्य जुलाई, 2017 तक पूर्ण होगा। निश्चय "हर घर नल का जल" के संबंध में दिनांक- 18.05.2016 को आहूत उच्चस्तरीय बैठक के निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राज्य में लगभग

2000 ग्राम पंचायतों की गुणवत्ता प्रभावित होने तथा अन्य 1000 गैर प्रभावित ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा जलापूर्ति का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व की भाँति कार्य कराने पर सहमति व्यक्त करते हुए गैर गुणवत्ता क्षेत्रों में पंचायत/समुदाय की सहभागिता से कार्य कराने अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने के विकल्प पर विचार करने का निदेश दिया गया। सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 14th Finance Commission की अनुशंसा के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख रु0 सीधे प्राप्त होगा। इस संदर्भ में उक्त राशि का उपयोग गैर गुणवत्ता क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन वार्डों के माध्यम से कराने तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व की व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करने एवं उपर्युक्त मद की अव्यवहृत राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किये जाने की रणनीति पर विचार करने का निदेश दिया गया। साथ ही सचिव, पंचायती राज विभाग को जून माह में मंत्रिपरिषद के विचारार्थ संलेख उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जुलाई, 2016 में संलेख मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखने की सूचना दी गई।

निर्णय:- दोनों विभाग को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग:- नल का जल सुविधा रहित घरों को चिन्हित कर राज्य योजना से दिसम्बर, 2016 तक 20 नगर निकाय अन्तर्गत 57790 घरों को पाइप से जल की सुविधा दी जाएगी एवं अमृत योजना से राशि की उपलब्धता की स्थिति में स्वीकृत राज्य वार्षिक योजना अंतर्गत 9 नगर निकायों में अगस्त माह से कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिसमें 1,18,632 घरों को पाइप से जल की सुविधा दी जाएगी। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि जून, 2016 में सर्वेक्षण के माध्यम से सभी नल जल विहीन शहरी आवासों को चिन्हित कर लिया जायेगा। सर्वेक्षण के महत्व का उल्लेख करते हुए योजना के सफल एवं समुचित कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी को सुदृढ़ करने की दिशा में विभाग के पास उपलब्ध तकनीकी संगठनों को एकीकृत करने अर्थात् नगर विकास विभाग अन्तर्गत जल पर्षद, बुडको आदि के अभियंत्रण कोषांगों को एकीकृत कर समेकित अभियंत्रण संगठन बनाने हेतु नियमानुसार विभाग को प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। विभाग को जुलाई माह में योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं सितम्बर माह से योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

निर्णय:- लक्ष्य के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।

(v) निश्चय:-5; घर तक पक्की नली-गलियां

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना (नगर विकास एवं आवास विभाग):- योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निदेश नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है एवं छूटे हुए गली-नालियों को चिन्हित करने हेतु जून माह में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

निर्णय:- आगामी वर्ष में नगरपालिका के चुनाव को दृष्टिपथ रख प्राथमिकता के आधार पर वार्ड समा से योजनाओं को चयनित कराने का निदेश दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्र (पंचायती राज विभाग):— सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु तीन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया गया है। “हर घर नल का जल” एवं “घर तक पक्की गली-नालियाँ” हेतु मंत्रिपरिषद् में संयुक्त संलेख जून माह में लाया जाएगा।

निर्णय:— अलग-अलग संलेख तैयार किया जाय, ताकि दोनों योजनाओं का सतत अनुश्रवण हो सके।

PMGSY के क्रियान्वयन के उपरान्त शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना (ग्रामीण कार्य विभाग):— PMGSY, MMGSY, राज्य सम्पोषित अन्य सम्पर्कता योजनाओं के अन्तर्गत संपर्क विहीन बसावटों तक पक्की सड़क के लक्ष्य के आलोक में वर्ष 2016-17 के लक्ष्य, प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की गई। विभागीय सचिव द्वारा यह बताया गया कि 31,200 बसावटों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी क्रम में माननीय विधायकों से भी संपर्क विहीन बसावटों की सूची प्राप्त हुई थी। इस सूची का भी सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 100 से 250 तक की आबादी वाले 4300 बसावट चिन्हित किये गये हैं जिन्हें पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु लगभग 9000 कि०मी० सड़क का निर्माण करना होगा। 100 से कम आबादी वाले 4500 बसावटों को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि 100 से 250 आबादी वाले बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर पक्की सड़क से जोड़े जाने हेतु लिया जाय। 100 से नीचे आबादी वाले बसावटों से संबंधित आँकड़े/प्रतिवेदन को पंचायती राज विभाग के साथ साझा किया जाय, ताकि पंचायत की वार्षिक कार्य योजना ऐसे बसावटों को जोड़ने से संबंधित योजना को सम्मिलित करने की कार्रवाई कराई जा सकती है। विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि जून माह के अन्त तक मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जाएगा। सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग ने बजट में कम राशि उपबंधित किये जाने की बात बतायी।

निर्णय:— निदेश दिया गया कि इन टोलों को संपर्क प्रदान किए जाने हेतु निर्माण किये जाने वाले सड़क की विशिष्टियाँ निर्धारित कर ली जाय। सड़क की चौड़ाई उसके Strength इत्यादि का मापदण्ड तय कर लेने का भी निदेश दिया गया।

(vi) निश्चय:—6; शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

(क) ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग):— वर्तमान में शौचालय निर्माण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है तथा इस कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में उपलब्ध तकनीकी कार्यबल को ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। पूर्व से निर्माणाधीन 42 पंचायतों में से 2 ODF घोषित हो चुका है जिसमें 5351 घरों में शौचालय निर्मित हो चुका है। शेष 40 पंचायतों में अगस्त माह तक ODF कार्य पूर्ण हो जायेगा। आगामी 5 वर्षों का लक्ष्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। दिनांक-18.05.2016 को आहूत उच्चस्तरीय बैठक के निर्णय के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाना है, जिसके लिए विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार किया जा रहा है।

निर्णय:—ग्रामीण विकास विभाग यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाये। तीन महीने तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग Handholding करते हुए हस्तांतरण को सहज करने हेतु पूर्ण सहयोग देगा।

(ख) शहरी क्षेत्र (नगर विकास एवं आवास विभाग) :- वर्तमान में निर्माणाधीन 30824 शौचालय का निर्माण कार्य मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। लक्ष्य के सत्यापन एवं निर्धारण हेतु जून माह में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

निर्णय:- शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण की जो योजना स्वीकृत है उनका तेजी से क्रियान्वयन कराया जाये साथ ही सर्वेक्षण के उपरान्त जो शौचालय विहीन परिवार चिन्हित होते हैं उनको भी आच्छादित करने की कार्रवाई समयबद्ध रूप से की जाये।

(vii) निश्चय:-7; अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम विद्यालय की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):- प्रत्येक अनुमंडल में A.N.M विद्यालय की स्थापना के समीक्षोपरांत आगामी 5 वर्षों में 54 A.N.M विद्यालय का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का लक्ष्य है।

निर्णय:- निर्धारित समय में लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रत्येक जिला में GNM विद्यालय की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):- प्रत्येक जिला में GNM विद्यालय की स्थापना की क्रम में बताया गया कि 7 जिलों में विद्यालय पूर्व से संचालित हो रहे हैं। 10 जिलों में विद्यालय निर्माणाधीन है। आगामी 5 वर्षों में 23 जिलों में विद्यालय का लक्ष्य है।

निर्णय :- निर्धारित समय में GNM विद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रत्येक जिला में पारा-मेडिकल संस्थान की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई नया निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। आगामी 5 वर्षों में निर्मित होने वाले 33 भवनों के निर्माण हेतु स्थल का चयन, DPR निर्माण, निविदा का प्रकाशन एवं कार्य आवंटन करने का लक्ष्य है। 15 जिलों में विभागीय भूमि उपलब्ध है, जहाँ निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। शेष जिले जहाँ विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी।

निर्णय:- प्रत्येक जिला में पारा मेडिकल संस्थान के लक्ष्यों को ससमय पूरा करने का निदेश दिया गया।

सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):- नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को 08.06.2016 तक पूर्ण करना है। 11 नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण चिकित्सा महाविद्यालयों में ही किया जाना है, जिसके लिए अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है। 5 नये स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों में बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन, DPR निर्माण, निविदा का प्रकाशन एवं कार्य आवंटन वित्तीय वर्ष 2016-17 में करने का लक्ष्य है।

निर्णय:- निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

पाँच नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):- बैठक में बताया गया कि पूर्व से 9 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। 1 चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन है एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालय आगामी 5 वर्षों में स्थापित करने का लक्ष्य है।

निर्णय:—निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा किया जाय। साथ ही नये संस्थानों के संचालन हेतु Faculty एवं अन्य कर्मी तथा उपकरण की व्यवस्था समानांतर रूप से की जाय।

सभी जिलों में पोलिटेक्निक संस्थान (विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग):— सभी जिलों में पोलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना का कुल लक्ष्य 38 है। पूर्व से 19 पोलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं। 8 पोलिटेक्निक निर्माणाधीन है एवं आगामी 3 वर्षों में 11 पोलिटेक्निक संस्थान निर्माण का लक्ष्य है।

निर्णय:— सभी जिलों में पोलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने हेतु समीक्षा की गई एवं इस हेतु सभी कार्रवाई ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम संसाधन विभाग):— सभी जिलों में महिला ITI की स्थापना के कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध पूर्व से संचालित 16 ITI एवं आगामी 3 वर्षों में 22 महिला ITI स्थापना के लक्ष्य को बताया गया। पूर्व संचालित संस्थानों एवं निर्माणाधीन संस्थानों के अतिरिक्त लक्ष्य के अनुरूप प्रस्तावित संस्थानों के प्रगति के संबंध में बताया गया। सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण एवं संचालन के संबंध में समीक्षा की गई। आई0टी0आई0 एवं महिला आई0टी0आई0 के कोर्स के संबंध में जानकारी दी गई कि नये महिला आई0टी0आई0 में 04 कोर्स एवं नये सामान्य आई0टी0आई0 में 06 कोर्स की पढ़ाई होनी है। आधुनिक परिवेश में माँग आधारित पाठ्यक्रमों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

निर्णय:— अन्य राज्यों में महिला आई0टी0आई0 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर तदनुरूप यहाँ भी उपयोगी पाठ्यक्रमों को लागू करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्रवाई करे।

सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय (विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग):— सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का कुल लक्ष्य 38 है, जिनमें से 7 पूर्व से संचालित हैं एवं 6 निर्माणाधीन है। आगामी 4 वर्षों का लक्ष्य 25 अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना का है। बताया गया कि 6 निर्माणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों में से सीतामढ़ी में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं शेष अभियंत्रण महाविद्यालयों हेतु स्थल उपलब्ध है, जहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। प्रधान सचिव द्वारा स्मार्ट क्लास हेतु बेल्ट्रॉन से परियोजना तैयार करने के अनुरोध किये जाने की भी जानकारी दी गई।

निर्णय:—(i) अभियंत्रण महाविद्यालय में State of art Facility स्थापित करने एवं Faculty की कमी दूर करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाए।

(ii) सभी महाविद्यालयों को स्मार्ट क्लास से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(iii) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त Faculty को अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवा लेने हेतु विभाग विचार कर सकता है।

सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम संसाधन विभाग):— सभी अनुमंडलों में सरकारी ITI की स्थापना का कुल लक्ष्य 101 है, जिनमें से 47 पूर्व से संचालित है। आगामी 3 वर्षों में 54 ITI निर्माण का लक्ष्य है। प्रत्येक अनुमंडल में आई0टी0आई0 के निर्माण एवं संचालन के संबंध में समीक्षा की गई।

निर्णय:—सभी कार्यरत एवं लंबित योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि आवश्यकताधारित आधुनिक परिवेश के नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाय, ताकि I.T.I. से उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

(ख) सुशासन के कार्यक्रम (उप-मिशनवार)

(1) युवा उप मिशन

कौशल विकास मिशन (श्रम संसाधन विभाग):— कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण के संबंध में समीक्षा की गई। सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों के माध्यम से मार्च, 2016 तक 5.04 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्तमान में 1.9 लाख प्रशिक्षणरत हैं। वर्ष 2016-17 में विभिन्न विभागों के माध्यम से कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 9 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस क्रम में यह भी बताया गया कि इसके अंतर्गत Knowledge Partners के चयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है एवं शीघ्र ही उनका चयन कर सभी प्रखंडों में 2 अक्टूबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण सुचारु एवं सही ढंग से हो इसकी Online Monitoring की व्यवस्था भी की जाएगी।

निर्णय:— निर्धारित समय पर लक्ष्य पूर्ण किया जाय।

नियोजन मेला (श्रम संसाधन विभाग):— वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 तक आयोजित नियोजन मेला में 4.91 लाख युवाओं को नियोजन हेतु चयनित किया गया। वर्ष 2016-17 में 1.01 लाख युवाओं को नियोजित करने का लक्ष्य है। इस हेतु जिला स्तर पर 76, प्रमंडल स्तर पर 9 एवं विश्वविद्यालय स्तर पर 8 नियोजन मेला आयोजित किया जाना है। सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व में नियोजन मेला असंगठित तौर पर आयोजित हो रहा था। विभाग इसे संगठित एवं उपयोगी बनाने के लिए लक्षित (Targeted) मेला के रूप आयोजित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें विशेष सेक्टर के लिए अलग-अलग मेले लगाये जायेंगे। साथ ही अप्रेंटिसशिप मेले का भी आयोजन किया जाएगा।

निर्णय:— लक्षित मेला, विशेष सेक्टर के लिए अलग-अलग मेला तथा अप्रेंटिसशिप मेला आयोजन से अधिक-अधिक से नियोजन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

राज्य के सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग):—सूचित किया गया कि 89 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम पूर्व से उपलब्ध है। विगत वर्ष में 153 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 82 प्रखंडों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्षित 60 प्रखंडों में स्थल चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय:—(i) भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कार्यान्वित योजनाओं की धीमी प्रगति के निदान हेतु एक एप्लीकेशन (Apps.) का निर्माण कर सभी निर्माणाधीन भवनों के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए ताकि सभी संबंधित विभागों को भवन निर्माण के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु समन्वय स्थापित हो सके एवं कार्य को गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन के

पुनरीक्षण हेतु भवन निर्माण विभाग को वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने हेतु आवश्यक नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(ii) भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि सभी विभागों के निर्माणाधीन भवनों की सूची बनाकर सभी विभागों के साथ नियमित समीक्षा कर तय समय में निर्माण कार्य पूरा करे।

(iii) सभी विभागों को भवन निर्माण विभाग के साथ बैठकर समस्या के समाधान करने का निदेश दिया गया।

(iv) स्टेडियम के रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये जाये।

(v) भूमि की उपलब्धता होने पर ही भवन निर्माण की किसी योजना की स्वीकृति दी जाय।

राज्य के सभी प्रमंडलो में इनडोर स्टेडियम (कला संस्कृति एवं युवा विभाग):- सारण को छोड़कर शेष 8 प्रमंडलों में इनडोर स्टेडियम उपलब्ध है। सारण प्रमंडल में स्टेडियम भवन निर्माणाधीन है।

निर्णय:- सभी प्रमंडलो में इनडोर स्टेडियम के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई एवं सारण प्रमंडल में स्टेडियम भवन निर्माण समयबद्ध कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए 38 आवासीय खेल कोचिंग की व्यवस्था (कला संस्कृति एवं युवा विभाग) :- पूर्व से 17 आवासीय खेल कोचिंग सेंटर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 5 नए कोचिंग सेंटर खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 जिलों (सिवान-फुटबॉल एवं हैंडबॉल, पूर्वी चंपारण- ताइक्वाण्डो) से 3 विधाओं में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

निर्णय:- लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाय।

डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) :- पटना के मौजा सैदपुर मुसल्लह में 15.56 एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है। अतिरिक्त 4.48 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मास्टर प्लान कंसलटेंट नियुक्त हो चुका है एवं वास्तुविद तथा Exhibit Designer/ Content Designer का चयन प्रक्रियारत है।

निर्णय:- (i) तत्काल पूर्व से प्राप्त 15.56 एकड़ भूमि पर ही परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

(ii) साइंस सिटी निर्माण हेतु एक Time Schedule (पर्ट चार्ट) का निर्माण कर विभाग समयबद्ध इस योजना को कार्यान्वित करे।

राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण (कला संस्कृति एवं युवा विभाग) :- इस कार्य हेतु 89.98 एकड़ भूमि अधिगृहित कर निर्माण हेतु 612.10 करोड़ रु० का प्राक्कलन तैयार किया गया है। BCCI से आवश्यक मार्गदर्शन/ परामर्श प्राप्त हो चुका है, जिसके आलोक में अलग से क्रिकेट स्टेडियम का संशोधित प्राक्कलन एवं नक्शा भवन निर्माण विभाग से तैयार कराने की कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय:- क्रिकेट स्टेडियम के अतिरिक्त स्पोर्ट्स एकेडेमी हेतु उपलब्ध 89.98 एकड़ भूमि में फुटबॉल का मैदान का भी provision किया जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्य साथ-साथ करने का निदेश दिया गया।

(ii) पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

शहरों में प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन (नगर विकास एवं आवास विभाग):- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 27 नगर निकायों के 643 वार्डों में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

निर्णय:- लक्ष्य के अनुरूप ससमय ठोस कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण (नगर विकास एवं आवास विभाग):- राज्य के कुल 140 नगर निकायों एवं सभी 3320 वार्डों में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसमें पूर्व से 1,745 वार्डों में यह सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 200 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 52 वार्डों में सुविधा उपलब्ध कराई है। आगामी 4 वर्षों में शेष 1375 वार्डों में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

निर्णय:-ससमय लक्ष्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान का सूत्रण (नगर विकास एवं आवास विभाग):- कुल लक्ष्य: 41 (38 जिला मुख्यालय के शहर एवं 3 अन्य शहर-बोधगया, राजगीर एवं डेहरी)। पटना का मास्टर प्लान प्रारूप Bihar Urban Planning Board द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना दी गई। बोधगया एवं राजगीर के आयोजना क्षेत्र की घोषणा की जा चुकी है। GIS आधारित Master Plan के सूत्रण हेतु RFP तैयार किया जा रहा है।

निर्णय:- पंचायत चुनाव के उपरान्त शीघ्र Patna Metropolitan Planning Committee का गठन कराने एवं इसकी बैठक आयोजित करने का निदेश प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना (नगर विकास एवं आवास विभाग):- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SHG का गठन; भारत सरकार से 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य के कुल 140 नगर निकायों में से 42 नगर निकायों में स्वयं सहायता समूह के गठन की स्वीकृति प्राप्त है। इसके तहत कुल 26,170 स्वयं सहायता समूहों का गठन आगामी पाँच वर्षों में करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 8518 SHG सफलतापूर्वक संचालित है, जिसमें 89254 परिवार संबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6500 SHG गठन का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा राज्य के शेष बचे सभी 98 नगर निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विस्तार की स्वीकृति दी गई है।

निर्णय:- स्वयं सहायता समूह के गठन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। शेष 98 नगर निकायों में योजना लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

पटना मेट्रो रेल परियोजना (नगर विकास एवं आवास विभाग):— प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा City Mobility Plan के अन्तर्गत मेट्रो प्रस्तावित है या नहीं के सम्बन्ध में सूचना माँगी जा रही है। जिसके आलोक में परामर्शी के माध्यम से City Mobility Plan Update कराकर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी बताया गया कि कुछ अन्य राज्यों में मेट्रो रेल परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। केन्द्र सरकार से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने पर कार्रवाई किया जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन SPV (Special Purpose Vehicle) Model में किया जायेगा।

निर्णय:— केंद्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने का निदेश प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया।

सबके लिए आवास (नगर विकास एवं आवास विभाग):— वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 30,216 आवासीय इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 17,757 निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों के निर्माण में से 50 इकाईयां पूर्ण हो चुकी है। शेष इकाईयां 31.03.2017 तक पूर्ण कर दी जायेगी।

निर्णय:— निर्धारित समय पर लक्ष्य को पूर्ण किया जाय।

शहरी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना (नगर विकास एवं आवास विभाग):— 138 टाउन वेंडिंग समिति का गठन हो चुका है। सर्वेक्षण के माध्यम से 75,588 फुटपाथी दुकानदारों को चिन्हित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 84 वेंडिंग जोन्स के गठन का लक्ष्य है। फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली का सूत्रण प्रक्रियाधीन है, जिसे इसी माह में अधिसूचित किया जाएगा।

निर्णय:— विभाग अग्रेतर कार्रवाई करे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (ग्रामीण विकास विभाग):— इस मिशन के तहत शहर के निकटवर्ती ग्रामीण बसावटों में निर्धारित मानक के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा चयनित चार क्लस्टरों (बसावटों का समूह) में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आधारभूत संरचना का विकास, बेरोजगारी उन्मूलन एवं निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने का लक्ष्य है। राज्यस्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जा चुका है एवं समेकित क्लस्टर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

निर्णय:— योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में हो रही कठिनाई के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण विकास विभाग):— इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल दस लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 4.7 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। गठित समूहों के अंतर्गत 57.3 लाख परिवार संबद्ध हैं। 2.07 लाख समूह बैंकों से संबद्ध हो चुके हैं। 2.06 लाख समूहों को Revolving Fund एवं Investment Capitalization Fund के रूप में 764.2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है एवं 14,180 ग्राम संगठनों को Vulnerability Reduction Fund उपलब्ध कराया गया। कृषि, पशु एवं मत्स्य योजनाओं के 1573 उत्पादकता समूहों के तहत 5.95 लाख परिवार संबद्ध है। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक के विचाराधीन जीविका से संबंधित नई परियोजना पर निकट

भविष्य में स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना दी गयी। साथ ही समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेने का आश्वासन भी दिया गया।

निर्णय:- ससमय लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग):-राज्य में कुल 1.31 करोड़ व्यक्तियों को जॉब कार्ड निर्गत किया जा चुका है, जिसमें 41.05 लाख सक्रिय जॉबधारी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 9.37 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 7.03 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है। 63,871 परिवारों को 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य है।

निर्णय :- लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- इंदिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास विभाग):- इंदिरा आवास योजना की जगह वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) प्रारंभ की जा रही है। जिसके तहत सामान्य जिला में प्रति इकाई 1.20 लाख रु. एवं Integrated Action Plan (IAP) जिला में 1.30 लाख रु. लाभार्थी को दिया जायेगा। इस नई योजना में आवास का क्षेत्रफल 25 sq mt होगा। इस योजना के प्रारंभ से अबतक कुल 74.45 लाख इंदिरा आवास इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.5 लाख इकाईयां प्रस्तावित है, जिस पर भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त है।

निर्णय :- विभागीय सचिव केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई करे।

पंचायत सरकार भवन का निर्माण (पंचायती राज):- सभी 8391 पंचायतों में चरणवार पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। विभाग द्वारा अबतक कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक 1106 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें 543 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 563 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में नये 335 पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा NABARD की राशि से 101 पंचायत सरकार भवन तथा विश्व बैंक के विचाराधीन परियोजना के माध्यम से 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराये जाने की सूचना दिया गया।

निर्णय:- सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न स्रोतों के विकल्पों पर विचार किया जाये।

बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना- प्रथम चरण (योजना एवं विकास विभाग):- विभाग द्वारा बताया गया कि आवासीय इकाइयों का निर्माण जून-2016 तक पूर्ण किया जायेगा। इस चरण में इसके अतिरिक्त अन्य अवयवों के त्वरित निष्पादन हेतु इसी माह विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श प्रस्तावित है। तद्आलोक में इसे पूर्ण किया जायेगा।

निर्णय:- प्रथम चरण की योजना पूर्ण करने में आ रही बाधाओं का शीघ्र निष्पादन किया जाय।

बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना—द्वितीय चरण (योजना एवं विकास विभाग):— विश्व बैंक द्वारा बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की स्वीकृति दिनांक— 17.03.2016 को प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना की कुल लागत 2259 करोड़ रु. है जिसमें 1513.5 करोड़ रु. का ऋण विश्व बैंक द्वारा दिया जायेगा एवं राज्य सरकार द्वारा 745.5 करोड़ रु. का व्यय किया जायेगा। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना का क्रियान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पुर्णियाँ एवं अररिया जिलों में किया जा रहा है।

निर्णय:— विभाग ससमय योजना पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

(iii) मानव विकास उप मिशन

जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण (स्वास्थ्य विभाग):—जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण की समीक्षा के क्रम में मातृत्व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, कुपोषण, एनिमिया, Child Sex Ratio, बाल विवाह एवं Life expectancy at birth के राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य/ उपलब्धि तथा 2016-17 के लक्ष्य के संबंध में जानकारी दी गई। मातृत्व मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रहने के संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति हो जाने एवं उपलब्ध Anesthetist/Gynaecologist चिकित्सकों को छः माह का प्रशिक्षण कराकर जिला अस्पतालों में पदस्थापित किया जाएगा, ताकि शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में सुधार लाया जा सके। यह भी जानकारी दी गई कि नियमित टीकाकरण में बिहार की उपलब्धि सराहनीय है, WHO के रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अब तक नियमित टीकाकरण का प्रतिशत 82 है, जिसे निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्णय:—जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण के सभी सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत से बेहतर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ (स्वास्थ्य विभाग):— स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ यथा एकसरे, पैथोलॉजी, एम्बुलेंस सुविधा, अल्ट्रासाउंड के संबंध में कुल स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या एवं मानक के अनुरूप लक्ष्य को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया।

निर्णय:— स्वास्थ्य संस्थानों के मानक के अनुरूप बुनियादी सुविधाएँ निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध करवाने का निदेश दिया गया।

उपचारित मरीज (स्वास्थ्य विभाग):— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में OPD एवं IPD में उपचारित मरीजों की संख्या से अवगत कराया गया।

निर्णय:— अवलोकित।

निःशुल्क दवा की उपलब्धता (स्वास्थ्य विभाग):—मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पतालों तक के OPD एवं IPD में निःशुल्क कराई जाने वाली दवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जिला अस्पतालों में दवा की कम उपलब्धता के संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा जानकारी दी गई कि सभी जिला अस्पतालों में 11 महत्वपूर्ण दवा उपलब्ध है एवं 121 दवा के क्रय के संबंध में तकनीकी निविदा में सफल आपूर्तिकर्ताओं का वित्तीय निविदा खोला जा रहा है। निगम के स्तर से अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली दवाओं की आपूर्ति अगले दो माह में प्रारंभ कर दी जायेगी। कतिपय कारणों से इसमें कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु

अब इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में सिविल सर्जनों के द्वारा स्थानीय स्तर पर निविदा कर दर निर्धारित करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में दवा की आपूर्ति की जा रही है।

निर्णय:- निःशुल्क दवा की आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में दवा की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के द्वितीय चरण के कार्यक्रम (स्वास्थ्य विभाग):-

(i) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 24x7 संचालन राज्य के प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की सेवा प्रारंभ करने तथा सभी जिला अस्पतालों में 10 शैया वाले ICU की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं उन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा की जानकारी दी।

(ii) जिला अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं का क्रिस्तारीकरण (विशिष्ट सेवा एवं नई सेवा का प्रारंभ) यथा नेत्ररोग, दन्त रोग, चर्म रोग, इ.एन.टी., डायबीटिज रोग, हृदय रोग तथा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सभी जिला अस्पतालों में पी.पी.पी. मोड के तहत डायलेसिस की सुविधा प्रदान करने हेतु कुल लक्ष्यों एवं उन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा की जानकारी दी गई।

(iii) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.पी.पी. मोड के तहत MRI/CT Scan सहित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त मॉड्यूलर OT की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा एवं अद्यतन कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया।

निर्णय:- (i) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी अस्पतालों में प्रथम चरण में दिये जाने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पहले सुदृढ़ किया जाय। अस्पतालों में हर हाल में दवा, पैथोलॉजी, एक्स-रे, एम्बुलेंस एवं 24x7 चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात् द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम पर जोर दिया जाय। साथ ही यह निदेश भी दिया गया कि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

(ii) सभी PHC अस्पतालों में अधिष्ठापित लैंडलाइन/WLL फोन को अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखने तथा अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति की जांच अधिष्ठापित लैंडलाइन/WLL फोन के माध्यम से करने संबंधी पर्यवेक्षण हेतु प्रधान सचिव को अपने स्तर पर सेल गठित करने का निदेश दिया गया।

शिक्षा (शिक्षा विभाग):- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा Learning Achievement in Language/Maths, Attendance percentage against enrolment एवं Transition rate of Children from SCs/STs/Girls/Minorities (Primary and Upper Primary) के संबंध में मिशन मानव विकास के अनुरूप वर्ष 2015-16 के लक्ष्य, उसकी उपलब्धि एवं वर्ष 2016-17 के लक्ष्य से अवगत कराया गया। शिक्षक-छात्र अनुपात, छात्र-वर्ग अनुपात, Secondary शिक्षा में वर्ग-IX में Gross enrolment ratio, वर्ग-X के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का लिंगानुपात एवं SC/ST/EBC/Minority वर्ग के दसवीं बोर्ड में पास करने वाले लड़कियों का मिशन मानव विकास के अनुरूप लक्ष्य, उसकी उपलब्धि एवं वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों से भी अवगत कराया गया। उच्च शिक्षा, Mass education, Teacher's education में भी सूचकांक के आलोक में मिशन मानव विकास के अनुरूप वर्ष 2015-16 के

लक्ष्य, उसकी उपलब्धि एवं वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों से अवगत कराया गया। मध्याह्न भोजन/पादय पुस्तक/पोशाक एवं साइकिल योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 का लक्ष्य एवं उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई।

निर्णय:— i) शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया कि शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणामात्मक सुधार हेतु सभी आवश्यक कदम विभागीय स्तर पर उठाया जाय। साथ ही अगर विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी विषय पर राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक हो तो इसके लिए विभाग नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थापित करें।

ii) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के विरुद्ध उपस्थिति कम रहने पर चिंता व्यक्त किया गया एवं इसमें सुधार हेतु आवश्यक निदेश दिया। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों का नियोजन शीघ्र कर इसकी कमी को दूर करने हेतु तत्काल सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियमानुसार नियोजित कर सेवा प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

iii) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वर्ग 1 (आरंभिक कक्षा) में 25% अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया गया।

कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा— सामाजिक सुरक्षा पेंशन (समाज कल्याण विभाग):—सभी पेंशनधारियों का डाटा डिजिटार्इज कर इसे बैंक खाता से जोड़ते हुए सीधा लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से भुगतान करने के संबंध में अद्यतन जानकारी दी गई। अबतक 68 लाख पेंशनधारियों में से 28 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता IFS CODE के साथ प्राप्त कर लिया गया है। माह जून, 2016 तक लगभग 50 लाख पेंशनधारियों का बैंक डाटा प्राप्त कर लिया जाएगा।

निर्णय:— विभाग यह सुनिश्चित करे कि कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सभी जरूरतमंदों को प्राप्त हो।

कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा— मृतक अनुदान योजना (समाज कल्याण विभाग):— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा हेतु मृतक अनुदान योजना के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी दी गई।

निर्णय:— लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा— मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (समाज कल्याण विभाग):— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण के विभिन्न घटकों, यथा भिक्षुकों का सर्वेक्षण, पहचान पत्र वितरण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव सहित पुनर्वास गृह, कौशल विकास एवं आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा स्वयं सहायता समूह एवं उत्पादक समूह, के संबंध में अद्यतन प्रगति की जानकारी दी गई।

निर्णय:— अवलोकित।

कमजोर वर्ग एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा-बुनियाद (सामाजिक देखभाल) केंद्र /ओल्ड एज होम (समाज कल्याण विभाग):—प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर वर्ग एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा हेतु बुनियाद (सामाजिक देखभाल) केंद्र/ओल्ड एज होमकी स्थापना/निर्माण के संबंध में अद्यतन प्रगति की जानकारी दी गई।

निर्णय:— अवलोकित।

कमजोर वर्ग एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा-आँगनबाड़ी केंद्र (समाज कल्याण विभाग):— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु कुल स्वीकृत लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी दी गई। साथ ही आँगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण हेतु वर्ष 2015-16 का लक्ष्य एवं उपलब्धियों से अवगत कराया गया।

निर्णय:— आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना अंतर्गत पोशाक हेतु प्रति बच्चा रू0 250 प्रति वर्ष दिये जाने के संबंध में निदेशित किया गया कि विभाग यह सुनिश्चित कराये कि बच्चों को दी जा रही राशि पोशाक खरीदने पर ही खर्च हो और वे पोशाक पहनकर ही केन्द्र पर आये। इसे सुनिश्चित कराने हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका एवं सहायिका को जबाबदेही दी जाय। निदेश दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष से आँगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को पोशाक हेतु मिलने वाली राशि को बैंक में अभिभावक के साथ बच्चों का ज्वाइंट एकाउन्ट खोलकर राशि का अंतरण पर विचार किया जाय।

कमजोर एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा- सामाजिक सुरक्षा नीतियों का क्रियान्वयन(समाज कल्याण विभाग):— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य पोषण नीति एवं वृद्धजनों के लिए नीति का प्रारूप प्रकाशन जुलाई 2016 तक किया जाना है। राज्य निःशक्ता नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है एवं तीनों नीतियों को दिसम्बर 2016 से लागू किया जाना है।

निर्णय:— ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश विभाग को दिया गया।

कमजोर एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा- कौशल विकास (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति कल्याण विभाग):— विभाग द्वारा दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, अनु0 जनजाति के युवक/युवतियों को युवा विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय का निर्माण, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास का निर्माण, कमजोर वर्ग/अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा, छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना के संबंध में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया।

निर्णय:—(i) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त की गई एवं निदेशित किया गया कि आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों हेतु पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

ii) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावास का संचालन, उसके रख-रखाव एवं व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट नियमावली बनाने का भी निदेश दिया गया।

iii) चारों कल्याण विभागों की बैठक कर मुख्य सचिव को छात्रावास संचालन एवं अन्य समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराने एवं संचालन नियमावली बनाने का निदेश दिया गया।

कमजोर वर्ग एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा— छात्रावास/ आवासीय विद्यालय (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग):— पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

निर्णय:— i) जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या 10+2 उच्च विद्यालय के संचालन रख-रखाव एवं व्यवस्था के संबंध में अबतक कोई संचालन नियमावली तैयार नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई है।

निदेश दिया गया कि पूर्व से निर्मित छात्रावास के संचालन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समरूप संचालन की मार्गदर्शिका तैयार की जाय, ताकि भवनों की मरम्मत एवं उसके रख-रखाव का कार्य सुचारु रूप से हो सके, साथ ही दायित्व निर्धारण में भी समस्या न हो। सचिव द्वारा बताया गया कि अगले दो माह में इसका अनुपालन करा दिया जायेगा।

ii) संचालित छात्रावास/आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतन और सेवाशर्त के अनुरूप ही नियुक्ति नियमावली बनाने पर विचार किया जाय। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि माह जून 2016 में इस हेतु संलेख विचारार्थ लाया जायेगा।

कमजोर वर्ग एवं अतिनिर्धन वर्ग की सुरक्षा— छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन/ऋण योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग):— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक मेधा सह आय आधारित तकनीकी एवं व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुफ्त कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास), अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना एवं अल्पसंख्यकों को बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से अवगत कराया गया।

निर्णय :—i) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हो जाने के बाद कोई नया स्वीकृति नहीं करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

ii) अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु विभाग की मार्गदर्शिका सभी जिलों को निर्गत है जिसमें संचालन समिति का गठन, उनका दायित्व, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास प्रवेश शुल्क का निर्धारण एवं खाता संचालन, भवन के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था का जिक्र है, संचालन की मार्गदर्शिका को अन्य कल्याण विभागों के साथ साझा करने का निदेश दिया गया है।

iii) मुख्य सचिव, बिहार को सभी कल्याण विभागों के मुद्दों की समीक्षा कर कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया गया।

आपदा पीड़ितों का त्वरित आकलन/क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण (आपदा प्रबंधन

विभाग):— प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा पीड़ितों का त्वरित आकलन एवं राहत वितरण, राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना एवं राष्ट्रीय आपदा चेतावनी प्रणाली के साथ समन्वय तथा क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस क्रम में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। इस रोडमैप के कार्यान्वयन में सरकार के लगभग 24 विभाग एवं एजेंसियों तथा सभी 38 जिलों के प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा रोडमैप के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 के कार्यान्वयन को बिहार विकास मिशन के साथ संबद्ध करते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों की सहभागिता में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण उप मिशन गठित किया जाय। इस पर विमर्श के दौरान मिशन निदेशक द्वारा कहा गया कि बिहार विकास मिशन नियमावली में गठित उप मिशन में मानव विकास उपमिशन अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग शामिल है।

निर्णय:—निदेशित किया गया कि अध्यक्ष उप मिशन-सह-विकास आयुक्त, जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 की समीक्षा संबंधित उपमिशन में करेंगे।

(iv) उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं सिंगल विंडो सिस्टम (उद्योग विभाग):—नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं सिंगल विंडो सिस्टम से संबंधित बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश बिल, 2016 के संबंध में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों प्रारूप का प्रस्तुतीकरण दिनांक 28.04.2016 को किया गया एवं प्राप्त निर्देश के आलोक में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

निर्णय:—ससमय कार्य को पूर्ण किया जाय।

गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों का प्रोत्साहन (गन्ना उद्योग विभाग):— प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम के तहत 2015-16 के भौतिक लक्ष्य 0.75 लाख मे0 टन एवं रकबा 0.13 लाख हे0 के विरुद्ध उपलब्धि क्रमशः 0.39 लाख मे0 टन एवं रकबा 0.07 लाख हे0 रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि कम रहने का कारण है कि मुख्यमंत्री गन्ना प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में फरवरी माह में मिली। परंतु 2015-16 में बीज विस्थापन दर लक्ष्य 33% के विरुद्ध 28% रहा है एवं वर्ष 2016-17 में 40% लक्ष्य रखा गया है। गन्ना उत्पादकता का राष्ट्रीय औसत 68.8 टन प्रति हे0 है एवं राज्य का औसत 67.04 टन प्रति हे0 है। वर्ष 2016-17 में लक्ष्य 70 टन प्रति हे0 रखा गया है। वर्ष 2015-16 में चीनी रिकवरी का लक्ष्य 10% के विरुद्ध उपलब्धि 9.77% रहा है। चीनी रिकवरी का राष्ट्रीय औसत 10.17% है एवं वर्ष 2016-17 हेतु राज्य का लक्ष्य 10.50% रखा गया है। गन्ना उत्पादकता एवं चीनी रिकवरी की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया गया।